लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल–462023
ई–मेलः dpividhya@gmail.com

क्रमांक/अकादमिक/इंस्पायर अवार्ड मानक/2021–22/2432 भोपाल, दिनांक 07/11/2022

प्रति,

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
2. समस्त सहायक आयुक्त / जिला संयोजक, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश ।
3. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश ।
4. समस्त ए.डी.पी.सी. एवं पदेन सहायक नोडल अधिकारी(इंस्पायर अवार्ड योजना)

विषयः–इंस्पायर अवार्ड मानक योजना वर्ष 2021–22 जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी दिनांक 15 नवम्बर 2022 से 18 नवम्बर 2022 के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा – निर्देश ।

संदर्भः–भारत सरकार विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय विज्ञार और प्रोद्योगिकी विभाग नईदिल्ली का पत्र कमांक1/19/2019– आईएम दिनांक 01.11.2022

––00––

उपर्युक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार के संदर्भित पत्र के तारतम्य में निम्नानुसार निर्देश हैं :–

1. इस वर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु प्रदेश के कुल 1512 छात्रों के आईडिया का चयन किया जाकर प्रत्येक विद्यार्थी को आईडिया का प्रोटोटाईप तैयार करने हेतु अवार्ड राशि रु. 10,000/– विद्यार्थी के बैंक खातें में डी.व्ही.टी. योजनान्तर्गत प्रदान किए गए है।
2. आपके जिला अंतर्गत यदि किसी अवार्डी छात्र/छात्राओं के खाते में अवार्ड राशि रूपये 10,000 का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है तो सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करें कि अवार्डी छात्र द्वारा भारत सरकार को दिया गया बैंक खाता जीवित है। यदि बैंक खाता अजीवित हो गया है तो उसे जीवित कराकर विद्यार्थी का नाम, बैंक अकाउन्ट नम्बर, आइ.एफ.एस.सी. कोड आदि जानकारी शाला के लॉगिन आई.डी. से अपडेट करें। ताकि अवार्डी छात्र के खाते में भारत सरकार से राशि प्राप्त हो सकें।
3. जिलेवार चयनित अवार्डी छात्रों की संख्या परिशिष्ट–एक पर संलग्न है, एवं अवार्डी छात्रों के नामों की सूची विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की वेबसाइट www.inspireawards-dst.gov.in पर उपलब्ध है।
4. इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन प्रदेश के 10 क्लस्टर में चार चरणों में दो दिवसीय आयोजन दिनॉक 15 नवम्बर 2022 से 18 नवम्बर 2022 तक आयोजित किया जाए। किस क्लस्टर में कौन–कौन से जिले सहभागिता करेंगे, यह क्लस्टरवार जानकारी संलग्न है। इस हेतु क्लस्टर केन्द्र के जिला शिक्षा अधिकारी को राशि रुपये 2,000/– प्रति छात्र को प्रदान की जाएगी।
5. क्लस्टर स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में चयनित माडल के साथ छात्र/छात्राओं द्वारा राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में सहभागिता की जावेगी।
6. राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट/मॉडल को प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थी राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी, नई दिल्ली के आयोजन में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला/क्लस्टर स्तरीय आयोजन के कियान्वयन हेतु विस्तृत निर्देश संलग्न हैं।

(अभय वर्मा)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक/अकादमिक/इंस्पायर अवार्ड मानक/2021–22/2433 भोपाल, दिनांक 07/11/2022

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय राज्यमंत्री, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा,(स्वतंत्र प्रभार) मन्त्रालय, भोपाल।

—2—

2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. निदेशक एवं मुख्य नवप्रवर्तन अधिकारी, राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ग्राम भारती गाँधी नगर महूडी रोड अमरापुर गाँधी नगर 382650 गुजरात।
5. अवर सचिव, भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, टेक्नोलॉजी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली।
6. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल ।
7. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन,
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, म.प्र.

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

इंस्पायर अवार्ड मानक योजना वर्ष 2021–22 जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी 15 नवम्बर 2022 से 16 नवम्बर 2022 के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा – निर्देश

1 – जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन

इंस्पायर अवार्ड मानक योजना अतर्गत जिला स्तर पर विज्ञान प्रोजेक्ट एवं मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन उक्त तिथियों में किया जाय। इस विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन में जिले के स्थानीय जन प्रतिनिधि, माननीय विधायक, माननीय प्रभारी मंत्री जी, सभी की सहभागिता हेतु आमंत्रण पत्र भेजा जाये।

2 – जिला स्तरीय आयोजन से पहले की कार्यवाही:–

2.1 समस्त जिले उनके जिले के अवार्डी विद्यार्थी को निर्धारित कलस्टर के जिले में जहाँआयोजन किया जा रहा है, वहाँ आयोजन में सहभागिता हेतु भेजा जाना सुनिश्चित करेगे।

2.2 जिले के सभी चयनित अवार्डी छात्र–छात्राओं के बैंक खातें में राशि रूपये 10,000/– भारत सरकार द्वारा सीधे जमा की गई है, छात्र के खाते में राशि जमा हो गई है यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित कर लें। यदि राशि जमा नहीं हुई तो अवार्डी छात्र के जीवित बैंक खाते का नाम, बैंक अकाउन्ट नम्बर, आइ.एफ.एस.सी. कोड आदि जानकारी शाला के लॉगिन आई.डी. से दिनॉक 10.11.2022 तक अपडेट कराऐं। यह संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

2.3 इंस्पायर अवार्ड वर्ष 2021–22 में जिन छात्रों को अवार्ड राशि प्राप्त हुई है उन छात्रों को प्रदर्शनी में अनिवार्य रूप से भाग लेने के निर्देश जारी करें एवं भाग न लेने की स्थिति में प्रदाय की गई अवार्डी राशि वापस ली जाए । इसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की होगी।

2.4 सभी अवार्डी छात्र–छात्राओं को लिखित रूप में जिला स्तरीय प्रदर्शनी की तिथियों, समय एवं स्थल के बारे में अवगत करायें एवं यह सुनिश्चित करें कि जिला स्तरीय प्रदर्शनी में शतप्रतिशत अवार्डी छात्र उनके द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट/मॉडल के साथ भाग लें ।

2.5 छात्रों को अवगत करायें कि उन्हें प्राप्त होने वाली रुपये 10000/– (रुपये दस हजार मात्र) की राशि में वास्तविक यात्रा देयक, मॉडल/प्रोजेक्ट निर्माण हेतु दोनो राशि सम्मिलित है ।

2.6 प्रत्येक चयनित अवार्डी छात्र–छात्राओं को प्रोजेक्ट/मॉडल निर्माण में मार्गदर्शन हेतु विद्यार्थी के गाइड शिक्षक ,विज्ञान शिक्षक/व्याख्याता को मार्गदर्शी शिक्षक का दायित्व सौंपा जाये।

2.7 जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन क्लस्टर जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय अथवा अन्य सुविधायुक्त स्थल में किया जाये। जिले में सहभागिता करने वाले छात्रों की संख्या एवं ठण्ड के मौसम को ध्यान में रखकर स्थल पर आवास, भोजन आदि की समुचित व्यवस्थाऐं यथासमय पूर्व कर ली जाए।

2.8 प्रदर्शनी स्थल पर अवार्डी छात्र–छात्राओं द्वारा प्रदर्शित किये जाने वाले प्रोजेक्ट / मॉडल के टेबिल एवं कक्ष क्रमांक का विकासखण्ड वार एवं प्रतिभागी वार निर्धारण पूर्व में कर लिया जाये। इसकी जानकारी अवार्डी छात्र–छात्राओं को पंजीयन के समय ही दे दी जाये।

2.9 प्रतिभागी छात्रों एवं मार्गदर्शी शिक्षकों के आवास हेतु बिजली, पेयजल एवं शौचालय की बुनियादी सुविधाओं से युक्त, उचित आवास स्थल का चयन आप अपने स्तर से कर लें। छात्राओं / महिला मार्गदर्शी शिक्षिकाओं के लिए आवास व्यवस्था पृथक से करें । उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त आवास स्थल का चयन करें तथा सफाई सुरक्षा व्यवस्था कराएं। सुविधानुसार यह सुनिश्चित करें कि आवास स्थल, प्रदर्शनी स्थल से बहुत दूर न हो एवं सहभागी छात्र–छात्राओं को आवागमन में असुविधा न हो । आवागमन हेतु आवश्यकतानुसार वाहन व्यवस्था की जा सकती है।

2.10 आयोजन समिति द्वारा जिला स्तरीय प्रदर्शनी के अवलोकन हेतु स्थानीय विद्यार्थी जनप्रतिनिधियों, जिला अधिकारियों एवं अन्य गणमान्य नागरिकों आदि को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाये।

2.11 सभी अवार्डी छात्र–छात्राओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक कोड क्रमांक दिया गया है। क्लस्टर के जिला शिक्षा अधिकारी अवार्डी छात्र के रिफरेन्स कोड क्रमांक के अनुसार ही प्रदर्शनी स्थल पर डिकोडिंग कर स्टॉल आवंटित करेंगे। सभी सहभागी छात्र–छात्राओं को उनके इस क्रमांक से अवगत करायें।

3 – जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभागियों का पंजीयनः–

3.1 जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने वाले सभी अवार्डी छात्र–छात्राओं एवं उनके मार्गदर्शक शिक्षकों का विकासखण्डवार पंजीयन एक रजिस्टर में किया जाये।

3.2 पंजीयन के साथ ही उन्हें पहचान कार्ड दिया जाये, जिसे वे प्रदर्शनी के दौरान एवं अपने प्रोजेक्ट/मॉडल के प्रदर्शन के समय अपनी गणवेष पर लगाये ।

3.3 पहचान कार्ड में अवार्डी छात्र–छात्रा का नाम, फोटो, कोड क्रमांक, कक्षा, विद्यालय का नाम आदि अंकित किया जायेगा।

3.4 पहचान कार्ड की सभी प्रविष्टियां पंजीयन कर्ता द्वारा की जायेंगी। पंजीयनकर्ता अवार्डी छात्र–छात्रा के प्राचार्य द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्र के आधार पर पंजीयन करेंगे ।

3.5 पंजीयन के साथ ही अवार्डी छात्र–छात्राओं को उनके लिये निर्धारित आवास स्थल एवं प्रदर्शनी में प्रोजेक्ट/मॉडल के प्रदर्शन हेतु निर्धारित स्थान, कक्ष, स्टॉल की जानकारी भी दी जाये ।

4 – चयन की प्रक्रिया एवं निर्णायक मंडलः–

4.1 जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में कलस्टर हेतु निर्धारित संख्या में अवार्डी छात्र–छात्राओं द्वारा निर्मित विज्ञान प्रोटोटाइप मॉडल प्रस्तुत किये जायेंगे । इनमें से कम से कम 10 प्रतिशत प्रोटोटाइप मॉडल का चयन राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी हेतु चयन किया जाये। विशेषतः यह ध्यान रखा जाय कि छात्र द्वारा जिस आईडिया को अपलोड किया गया है उसी का ही प्रोटोटाइप मॉडल जिला स्तरीय प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाय। अन्य आईडिया आधारित मॉडल पर विचार नहीं किया जायेगा।

4.2 इस हेतु जिला स्तर पर तीन सदस्यीय निर्णायक मंडल (ज्यूरी) का गठन किया जाये। इनमें से एक सदस्य का नामांकन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग/राष्ट्रीय नव प्रवर्तन संस्थान द्वारा किया जायेगा। शेष दो निर्णायकों का नामांकन विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / राज्यस्तरीय विज्ञान शिक्षा संस्थान/राष्ट्रीय विज्ञान प्रयोगशाला/आई.आई.आई.टी. आदि से किया जायेगा । निर्णायक मण्डल (ज्यूरी) सदस्यों को उनके कार्य हेतु अंतिम दिवस पर एक मुश्त राशि रुपये 5000/– (रुपये पांच हजार मात्र) प्रति सदस्य मानदेय प्रदान किया जाये, जिसमें टी0ए0 सम्मिलित रहेगा।

4.3 निर्णायक मंडल द्वारा चयनित छात्र–छात्राओं के नामों की सूची, प्रोटोटाइप मॉडल के विवरण सहित प्राप्तांकों के वरीयता क्रम में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग/राष्ट्रीय नव प्रवर्तन संस्थान से आए प्रतिनिधि के समक्ष तैयार की जाय। वारीयता सूची में निर्णायक मण्डल के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा।

4.4 जिला स्तर पर निर्णायक मण्डल का निर्णय ही अंतिम होगा । निर्णायक मंडल से चयन प्रक्रिया का एक संक्षिप्त प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय और जिला स्तरीय प्रदर्शनी के साथ यह प्रतिवेदन लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित किया जाये।

4.5 जिला स्तर से राज्य स्तर हेतु चयनित प्रोटोटाइप मॉडल के छात्र–छात्राओं को उनके प्रोटोटाइप मॉडल के साथ राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में अनिवार्य रूप से भाग लेने हेतु क्लस्टर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लिखित में निर्देशित किया जाये।

5 – जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय आयोजन के सफल क्रियान्वयन हेतु आयोजन की संपूर्ण रूपरेखा एवं व्यवस्थाएं तय करेगी एवं आवश्यकतानुसार अधिकारियों को दायित्व सौंपे जाये।

6– प्रतिभागी अवार्डी छात्र–छात्राओं, मार्गदर्शक शिक्षकों, ज्यूरी सदस्यों के समुचित आवास, अल्पाहार, भोजन, पेयजल एवं सुरक्षा आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी।

7. प्रदर्शनी आयोजन समितिः–

अध्यक्ष	:	जिला शिक्षा अधिकारी – पदेन नोडल अधिकारी इंस्पायर
संयोजक		सहायक जिला नोडल अधिकारी (ए.डी.पी.सी.) इंस्पायर
सहायक संयोजकः		जिला विज्ञान अधिकारी इंस्पायर
सदस्य	:	प्राचार्य शा.उ.मा.वि. जिला मुख्यालय (अध्यक्ष द्वारा नामांकित)
सदस्य	:	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/ जिला स्रोत्त केन्द्र–पदेन
सदस्य	:	प्राचार्य अशासकीय उ.मा.वि. जिला मुख्यालय

समिति के कार्यः–

7.1 आयोजित होने वाली जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी की संपूर्ण रूपरेखा तैयार कर इसका प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करायेगी।

7.2 उद्‌घाटन एवं समापन कार्यक्रमों की संपूर्ण व्यवस्थाएं करायेगी।

8. प्रोटोटाइप मॉडल डिस्प्ले समितिः–

अध्यक्ष	:	जिला सहायक नोडल अधिकारी इंस्पायर अवार्ड मानक
संयोजक	:	जिला विज्ञान अधिकारी
सदस्य	:	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत विज्ञान विषय के 5 व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक।

समिति के कार्यः–

8.1 यह समिति अवार्डी छात्र–छात्राओं द्वारा निर्मित विज्ञान के प्रोटोटाइप मॉडल को प्रदर्शनी में व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करायेगी।

8.2 समिति, छात्र–छात्राओं को पंजीयन के समय ही उनके द्वारा निर्मित प्रोटोटाइप मॉडल के प्रदर्शन के लिए निर्धारित कक्ष, स्थल आदि के बारे में जानकारी देगी।

8.3 अवार्डी छात्र–छात्राओं को प्रोटोटाइप मॉडल के प्रस्तुतिकरण हेतु आवश्यक सामग्री एवं सहयोग प्रदान करेगी।

9. निर्णायक मण्डल (ज्यूरी) निर्धारण समितिः–

अध्यक्ष	:	कलेक्टर
संयोजक	:	जिला शिक्षा अधिकारी
सदस्य	:	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/जिला संयोजक
सदस्य	:	राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

समिति के कार्यः–

9.1 स्थानीय स्तर पर निर्णायक मण्डल (ज्यूरी सदस्यों) के नामों को तय कर इसका अनुमोदन कलेक्टर से लेना एवं उनका निर्णायक के रूप में भाग लेना सुनिश्चित करेगी।

9.2 ज्यूरी सदस्यों को अवार्डी छात्र–छात्राओं द्वारा निर्मित विज्ञान के प्रोटोटाइप मॉडल की सुव्यवस्थित जानकारी देना।

9.3 निर्णायक मंडल को उनकी आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करना एवं अवार्डी छात्र–छात्राओं के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना।

9.4 निर्णायक मंडल को उनके द्वारा चयनित प्रोटोटाइप मॉडल की सूची बनाने एवं संक्षिप्त प्रतिवेदन तैयार करने में सहयोग करना।

9.5 समिति, निर्णायक मण्डल द्वारा राज्य स्तर हेतु चयनित प्रोटोटाइप मॉडल के छात्र–छात्राओं को लिखित में अवगत कराने हुए उन्हें प्रोटोटाइप मॉडल के साथ आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में अनिवार्य रूप से भाग लेने हेतु निर्देशित करना।

9.6 प्रोटोटाइप मॉडल चयन की प्रक्रिया में ज्यूरी का निर्णय अंतिम होगा ।

9.7 निर्णायक मण्डल के सदस्यों को उनके लिए निर्धारित मानदेय एवं यात्रा व्यय कार्य उपरांत तत्काल भुगतान कराना सुनिश्चित करना।

10– संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण के दायित्वः–

उपरोक्त अनुसार जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही का सघन निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण एवं उनके संभाग के सभी जिलों के अवार्डी छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित कराई जाकर उनके संभाग अंतर्गत क्लस्टर के आयोजन का उत्तरदायित्व संबंधित संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को होगा ।

11— वित्तीय प्रावधानः—

11.1 भारत सकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इंस्पायर अवार्ड मानक की जिलास्तरीय प्रतियोगित्ता हेतु प्रति विद्यार्थी राशि रूपये 2000/— की दर से व्यय सीमा निर्धारित की गई है। अतः कलस्टर में शामिल विद्यार्थी की संख्या के मान से ही व्यय किया जाये। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना से उक्त आयोजन हेतु शीघ्र ही राशि का प्रदाय किया जायेगा।

11.2 अवार्डी छात्रों को प्राप्त होने वाली रुपये 10,000/— (रुपये दस हजार मात्र) की राशि का वास्तविक यात्रा देयक तथा प्रोटोटाइप मॉडल निर्माण हेतु व्यय किया जाये ।

11.3 जिला स्तरीय आयोजन में भाग लेने वाले अवार्डी छात्र—छात्राओं एवं सहयोगी शिक्षकों के भोजन एवं आवास की व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी। इस हेतु प्रारंभिक तैयारी करलें ।

11.4 जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों एवं सभी अधिकारियों के आयोजन उपरांत अधोलिखित जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:—

- आयोजन से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट /जिले का कार्यप्रतिवेदन श्रेष्ठ फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी की सीडी एवं अखबार की कतरनों सहित।
- जिला स्तर पर चयनित अवार्डी छात्र—छात्राओं की सूची/संपूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्र—अ अनुसार
- उपयोगिता प्रमाण—पत्र एवं संक्षिप्त रिपोर्ट (अंग्रेजी प्रारूप में) प्रपत्र—ब एवं स
- मदवार वास्तविक व्यय विवरण / देयकों की छायाप्रति
- आडिट रिपोर्ट

(अभय वर्मा)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2021–22 हेतु जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी आयोजन दिनांक 15 एवं 16 नवम्बर 2022 हेतुक्लस्टरवार सहभागिता करने वाले जिले, जिलेवार छात्र संख्या, क्लस्टरवार छात्र संख्या एवं आयोजन की तिथियाँ निम्नानुसार है:–

Cluster S.No	Cluster Name	DisttrictS.No	Districts in Cluster	District wise Awardee Students	Cluster wise Students	Date of DLEPC
1	Gwalior	1	Gwalior	36	161	Nov 15-16
		2	Bhind	3		
		3	Morena	46		
		4	Datia	49		
		5	Guna	16		
		6	Shivpuri	5		
		7	Sheopur	1		
		8	Ashoknagar	5		
2	Indore	9	Indore	45	149	Nov 15-16
		10	Dhar	2		
		11	Badwani	8		
		12	Khargaun	7		
		13	Khandwa	9		
		14	Burhanpur	2		
		15	Jhabuwa	5		
		16	Ratlam	71		
3	Bhopal	17	Bhopal	115	246	Nov 15-16
		18	Raisen	73		
		19	vidisha	18		
		20	Sehore	13		
		21	Rajgarh	27		
4	Jabalpur	22	Jabalpur	86	208	Nov 15-16
		23	Chhindwara	70		
		24	Narsinghpur	29		
		25	Katni	23		
5	Ujjain	26	Dewas	19	109	Nov 16-17
		27	Agar	25		
		28	Shajapur	45		
		29	Ujjain	20		
6	Hosangabad	30	Hosangabad	49	67	Nov 16-17
		31	Harda	10		
		32	Betul	8		
7	Satna	33	Rewa	23	212	Nov 16-17
		34	Satna	115		
		35	Sidhi	8		
		36	Singrauli	21		
		37	Shahdol	19		
		38	Anuppur	6		
		39	Umaria	15		
		40	Dindori	5		
8	Sagar	41	Sagar	31	157	Nov 17-18
		42	Damoh	26		
		43	Panna	16		
		44	Chhattarpur	49		
		45	Niwari	14		
		46	Tikamgarh	21		
9	Balaghat	47	Balaghat	16	99	Nov 17-18
		48	Seoni	68		
		49	Mandala	15		
10	Neemuch	50	Neemuch	87	104	Nov 17-18
		51	Mandsaur	17		
				1512	1512	